संख्या-1757/18-4-2014-11(एसाइड)/14

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
लखनऊ।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 22दिसम्बर,2014

विषयः एसाइड योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में क्रियान्वयन हेतु सी0एफ0सी0 फार वुड प्रोसेसिंग कार्विंग एण्ड ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद की परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-576/990/एसाइड-सी0एफ0सी0 फार वुड प्रोसेसिंग कार्विंग मुरादाबाद/2014-15, दिनांक 29-10-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार/डी0पी0आर0 का मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) से कराया गया। प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में प्रस्तावित कार्यमदों एवं उनकी मूल्यांकित लागत का विवरण निम्नवत् हैः-

(लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1-	बिल्डिंग	516.32	503.29
2-	प्लान्ट एण्ड मशीनरी	768.33	768.33
3-	प्रिलिमिनरी एक्स्पेंसेस	5.00	4.00
4-	अदर फिक्स्ड एसेट्स	15.08	15.00
	योग	1304.73	1290.62

2- उपरोक्तानुसार प्रस्तावित प्रायोजना की लागत रू0 1304.73 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 1290.62 लाख आंकलित की गई है ।

3- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-376/एसाइड/2014-15 दिनांक 14-8-2014 तथा पत्र संख्या-404/एसाइड/स्क्रीनिंग कमेटी/2014-15, दिनांक 26-8-2014 के क्रम में शासनादेश

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1357/18-4-2014-7(एसाइड)/04 दिनांक 01-10-2014 द्वारा कार्यदायी संस्था/क्रियान्वयन इकाई (एस0पी0वी0) की सैद्वान्तिक/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

4- संदर्भित शासनादेश दिनांक 01-10-2014 के अनुसार प्रश्नगत सी0एफ0सी0 फार वुड प्रोसेसिंग कार्विंग एण्ड ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद की परियोजना में कार्यदायी संस्था उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, मुरादाबाद को नामित किया गया है तथा परियोजना के आवेदन कर्ता (एस0पी0वी0) मेसर्स जे0ओ0 काष्ट प्रोसेसिंग, कार्विंग एण्ड ट्रेनिंग सेंटर प्रा0 लि0 मुरादाबाद है। परियोजना की कुल बास्केट मूल्य रू0 1250.00 लाख अनुमोदित है,जिसमें से रू0 1000.00 लाख एसाइड अंश तथा एस0पी0वी0 अंश रू0 250.00 लाख निर्धारित है, जबकि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा एसाइड अंश से रू0 1000.00 एवं एस0पी0वी0 के अंश रू0 304.73 लाख अर्थात कुल रू0 1304.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके सापेक्ष प्रभाग द्वारा रू0 1290.62 लाख की धनराशि आकलित की गयी है। जो परियोजना की बास्केट मूल्य रू0 1250.00 लाख से अधिक है।

5- अतः प्रश्नगत परियोजना में निर्धारित बास्केट मूल्य रू0 1250.00 लाख का 80 प्रतिशत एसाइड अंश रू0 1000.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष धनराशि एस0पी0वी0 द्वारा वहन की जायेगी।

6- एसाइड अंश तभी अवमुक्त किया जायेगा जब एस0पी0वी0 द्वारा नियमानुसार एस0पी0वी0 अंश योजना बैंक खाते में जमा किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा एस0पी0वी0 द्वारा किये गये कार्यो का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति/आख्या निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्रेषित किया जायेगा। तदोपरान्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा सहमत होने के पश्चात् ही शासन/एस0एल0ई0पी0सी0 के निर्देशों के अधीन एसाइड अंश नियमानुसार किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।

7- परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय की जायेगी:-

(1) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य उपकरण की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं। जिसे प्रभाग द्वारा यथावत् अनुमन्य कर दिया गया है। उक्त मदें प्रोप्राइटरी प्रकृति की हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय, इस कमेटी द्वारा इन कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था/एस0पी0वी0 द्वारा इन्वायरमेंटल क्लीयरेन्स एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताये पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/एस0पी0वी0 का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

8- समय-समय पर एसाइड योजना के सम्बंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या विचलन नहीं किया जायेगा।

9- परियोजना के कार्य का अनुश्रवण कार्यदायी संस्था (उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद) द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम 01 (एक) बार अवश्य किया जायेगा और इस सम्बंध में संस्तुति निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1757(1)/18-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3- कार्यदायी संस्था उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, मुरादाबाद।
4- एस0पी0वी0 (मेसर्स जे0ओ0 काष्ट प्रोसेसिंग, कार्विग एण्ड ट्रेनिंग सेंटर प्रा0 लि0 मुरादाबाद)।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0एम0 झा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in